

कार्यालय निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ।
संख्या: २१५३ मु०/ई०/एच०टी०/झाइंग-अनुमोदन/२०१५-१६, दिनांक: २५.०१.१६
सेवा में,

सर्वश्री सामरिया बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,
द्वारा: श्री अनिल,
कृष्णकुन्ज, मौजा गैलाना हलवाई की बगाची,
जिला-आगरा (उ०प्र०)।

विषय: ११/०.४३३ के०वी० ३१५ के०वी०५० X ०१ नं० ट्रॉन्सफारमर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित झाइंग का अनुमोदन।

प्रसंग: आपका पत्रांक शून्य, दिनांक 12.01.2016

प्रिय महोदय,

कृपया प्रासंगिक पत्र के साथ आपसे प्राप्त निम्नांकित एच०टी० झाइंग का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कर दिया गया है। उसकी एक प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

(१) ले आचर प्लान आफ ११/०.४३३ के०वी० ३१५ के०वी०५० X ०१ नं० ट्रॉन्सफारमर सब-स्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित झाइंग का अनुमोदन।

कृपया आप अपना अधिष्ठापन उपरोक्त अनुमोदित एच०टी० झाइंग के अनुसार अधिष्ठापित करें, और सभी शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् इसका निरीक्षण उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, आगरा रीजन, आगरा से करवायें तथा उनसे लिखित अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अपना अधिष्ठापन जीवन्त करायें।

संलग्नक: ०१ नं० झाइंग।

भवदीय,

(गिरीश कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक

संख्या: मु०/ई०/एच०टी०/झाइंग-अनुमोदन/२०१५-१६, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि महा प्रबन्धक, (उच्च विभव), पूर्णानन्द प्लाजा, चर्च रोड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि भारतीय विद्युत नियमावली, १९५६ के नियम-६३ के अनुसार किसी भी उच्च विभव अधिष्ठापन को इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही सजीव किया जा सकता है। अतः उच्च विभव अधिष्ठापन को उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, आगरा रीजन, आगरा से लिखित अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही सजीव करने का कष्ट करें।

गिरीश कुमार सिंह
कार्यवाहक निदेशक

संख्या: मु०/ई०/एच०टी०/झाइंग-अनुमोदन/२०१५-१६, तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, आगरा रीजन, आगरा को अनुमोदित झाइंग की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामले में जिला उद्योग केन्द्र से कागजात प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर तथा अन्य मामलों में उपभोक्ताओं से कागजात प्राप्त होने पर तीन दिन के अन्दर निरीक्षण करने का कष्ट करें। निरीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ताओं को भेजते समय ही उसकी प्रति मेरे नाम से प्रधान कार्यालय को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित की जाये।

संलग्नक: ०१ नं० झाइंग।

गिरीश कुमार सिंह
कार्यवाहक निदेशक


“भाग्य बचाये यदाकदा, सुरक्षा युक्त बचाये हमें सदा”

1. LAUNCHING OF RH GIRDER ON UP & DN TRACK ONE BY ONE


MOODY'S OR LEADERS
It is certified that the

It is certified that this TAD is applicable for Launching and De-launching of RH. Girder at LC No- 82 & 83.

2. INSERTION OF RCC SEGMENTAL BOXES BY AIR PUSHING METHOD (AFTER PLACING OF RH GIRDER ON BOTH (UP & DN) TRACK)



3. DE-LAUNCHING OF RH GIRDER FROM UP & BN TRACK ONE BY ONE



(1) (i) 2.20 hours traffic and OHLE block will be taken for line on which de-lamping of RH Girder and on adjacent line to Kaling SRR shall be implemented.

(2) After completion of traffic and power block and discharge of line, the last plane of traffic and L&H Girder to be lifted and placed away from the track.

(3) The last plane of traffic and L&H Girder to be lifted and placed away from the track.

(4) Work on traffic and L&H Girder shall be completed and traffic and power block shall be placed away from the track.

(5) The piling of Nails CCR-201 will be initiated by lifting of girder and placing of nail along the rail when traffic and compensation blocks are in place.

(6) Compaction of nail will be done by 100 mm thickness.

(7) Compaction of nail will be spread uniformly in each R&I girder portion along with weather and soil composition.

(8) Compaction of nail will be spread for 100 mm thickness.

(9) The assembled track shall be lifted by crane and shall be placed in position. The ends shall be fastened by 1 meter long tie plates.

(10) Track parameters shall be checked. Traffic and power block shall be commenced and first train to pass with stop command to 10 kmph and subsequent trains on 20 kmph.

(11) Speed shall be reduced as per IR/RWY/Parc-23(RWY) with machine picking and consolidation of track.

Note:-

1. Maximum working radius is not more than 11 metres and maximum Boom length will not be more than 27.5 metre.
2. Railways board permission shall be ED/CE/BRB letter no-2015/CE/IR/RWY/DR/21/08/2016 & 15/02/2016 and HQ/NCRS letter no-2015/CE/IR/RWY/DR/22/08/2016 shall be followed.
3. Survey of CCR or 3001 (parent company of working of CCR) shall be available at site.
4. Surveyor presentation or per PGE circular shall be submitted.

ELEVATION

